



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 261 राँची, सोमवार, 4 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
25 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

7 मार्च, 2019

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत संचालित “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” की संशोधित मार्ग-निर्देश की स्वीकृति।

ज्ञापांक - 05/म0स0/रा0यो0-461/2017-642--वर्तमान में राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही आबादी के परिवारों एवं रु0 72000/- (बहतर हजार रुपये) तक वार्षिक आय वाले परिवारों की कन्या को विवाह के अवसर पर “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” के तहत संशोधित मार्ग-दर्शिका ज्ञापांक-4233, दिनांक- 09.11.2017 के आलोक में लाभ प्रदान किया जाता है ।

- सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजनान्तर्गत संचालित “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” की संशोधित मार्ग-निर्देश की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

2.1 उद्देश्य -

बेटियों के बारे में समाज में पायी जानेवाली सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या, बालिकाओं को जल्दी ब्याह देने की प्रवृति जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना को निरूपित किया गया है, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- i. महिला आर्थिक सशक्तिकरण ।
- ii. बाल विवाह प्रथा का अन्त ।

2.2 योजना का स्वरूप:-

इस योजना के तहत SECC- 2011(ग्रामीण) के अनुसार राज्य के योग्य लाभुक परिवार जिनकी संख्या 27,46,106 है एवं राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार जिनकी संख्या दिनांक- 21.12.2018 को 9,11,217 है, की कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर रु0 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी ।

2.3 लाभार्थी हेतु पात्रता -

- i. कन्या का नाम अथवा कन्या की माता/पिता का नाम झारखण्ड राज्य के लिए Socio Economic Caste Census (SECC)- 2011 (ग्रामीण) की सूची में उपलब्ध हो अथवा परिवार अंत्योदय राशन कार्ड धारी हो ।
- ii. विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो ।
- iii. कन्या का आधार-कार्ड उपलब्ध हो ।
- iv. पुनर्विवाह का मामला नहीं हो, किंतु विधवा विवाह के लिए अनुमान्य ।
- v. विवाह के 1 (एक) वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य होगा ।

2.4 SECC- 2011(ग्रामीण) के आधार पर योग्य लाभुक का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा-

(I) SECC- 2011(ग्रामीण) से निम्न परिवार पात्रता की श्रेणी से स्वतः बाहर हो जायेंगे:-

- (i) मोटर चलित दोपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव धारक परिवार ।
- (ii) मशीन चलित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण धारक परिवार ।
- (iii) 50 हजार या उस से अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार ।
- (iv) सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य के परिवार ।
- (v) सरकार के पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार ।
- (vi) परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये एवं उस से अधिक कमाता है ।
- (vii) आयकर अदा करने वाले परिवार ।
- (viii) सेवा कर अदा करने वाले परिवार ।
- (ix) सभी कमरों के पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे धारक परिवार ।
- (x) रेफ्रीजिरेटर धारक परिवार ।
- (xi) लैंडलाइन फोन धारक परिवार ।

- (xii) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ एवं उस से अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार ।
- (xiii) दो या उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार ।
- (xiv) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ एवं उस से अधिक भूमि धारक परिवार ।

(II) निम्न परिवार स्वतः योग्य लाभुक की श्रेणी में शामिल हो जाएँगे:-

- (i) बेघर परिवार ।
- (ii) निराश्रित/भिक्षुक परिवार ।
- (iii) सिर पर मैला ढोने वाले परिवार ।
- (iv) आदिम जनजाति समूह का परिवार ।
- (v) कानूनी रूप से मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूर का परिवार ।

(III) निम्न सात वंचनों (Deprivations) में से किसी एक वंचन वाले परिवार लाभुक की श्रेणी में शामिल हो जायेंगे:-

- (i) कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ एक कमरे में रहने वाले परिवार ।
- (ii) परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है ।
- (iii) महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच का आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है ।
- (iv) निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार ।
- (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार ।
- (vi) वह परिवार जिसमें 25 साल से उपर का कोई वयस्क साक्षर सदस्य नहीं है ।
- (vii) भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं ।

उपर्युक्त तीनों कंडिकाओं के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में आच्छादित परिवारों की कुल संख्या 27,46,106 है ।

2.5 अपवाद -

अनाथ बालिकाओं तथा संप्रेक्षण गृह की पूर्व संवासी कन्याओं के मामले में Socio Economic Caste Census (SECC)- 2011 (ग्रामीण) की सूची में नाम अंकित रहने एवं अत्योदय योजना के लाभार्थी के प्रावधान से छुट होगा। इसके लिए बाल कल्याण समिति का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।

2.6 आवेदन प्रक्रिया -

आवेदक संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी:-

- (i) विवाह-निबंधन प्रमाण-पत्र ।
- (ii) दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा-पत्र ।
- (iii) आधार-कार्ड ।
- (iv) विधवा विवाह की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाणपत्र ।
- (v) बैंक-पासबुक ।

2.7 कार्यान्वयन प्रक्रिया -

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की समुचित जाँचोंपरांत अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर स्वीकृति उपरांत कोषागार से राशि की निकासी कर APBS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से कन्या के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 22.02.2019 की बैठक की मद संख्या 11 में स्वीकृति प्रदान की गई है ।
4. यह मार्ग-निर्देश वित्तीय वर्ष - 2019-20 से लागू होगा एवं विभागीय संकल्प सं0- 4233, दिनांक- 09.11.2017 वित्तीय वर्ष - 2019-20 से विलोपित समझा जायेगा ।

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव
